प्रेस नोट दिनांक 06–10–2020

आबकारी विभाग व थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिना परमिट के ट्रक में भांग लादकर कानपुर ले जाने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 408 प्लास्टिक के कट्टे पिसी भांग, 848 प्लास्टिक कट्टे बिना पिसी भांग, भांग पीसने की मशीन व 01 ट्रक सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना हैं, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05–10–2020 को आबकारी विभाग व थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम रास्तम से अभि0 1–रियाजुल हसन पुत्र स्व0 नाजिर निवासी वार्ड नं0–7 लण्डौरा हजरत पार्क, मंगलौर, हरिद्वार 2–अश्वनी कुमार शर्मा उफ कपिल शर्मा पुत्र बिजेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम वास्तम थाना देवबन्द, सहारनपुर 3–ताहिर पुत्र शराफत निवासी कलियर, कलियर शरीफ, हरिद्वार को ट्रक नं0 यूके 17 सीए–3014 में लदे 408 प्लास्टिक के कट्टे पिसी भांग, 848 प्लास्टिक कट्टे बिना पिसी भांग, भांग पीसने की मशीन सहित समय रात्रि 01:30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बरामदा भांग को ट्रक में लादकर बिना परमिट के जनपद कानपुर ले जाना बताया गया हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 746/2020 धारा 60/72 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1–रियाजुल हसन पुत्र स्व0 नाजिर निवासी वार्ड नं0–7 लण्डौरा हजरत पार्क, मंगलौर, हरिद्वार।

2–अश्वनी कुमार शर्मा उफ कपिल शर्मा पुत्र बिजेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम वास्तम थाना देवबन्द, सहारनपुर।

3–ताहिर पुत्र शराफत निवासी कलियर, कलियर शरीफ, हरिद्वार।

बरामदगी का विवरणः–

1– एक अद्द ट्रक नं0 यूके 17 सीए–3014।

2– 408 प्लास्टिक के कट्टे पिसी भांग के।

3– 848 प्लास्टिक कट्टे बिना पिसी भांग।

4– एक अद्द भांग पीसने की मशीन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री धीरेन्द्र कुमार चौधरी, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–3 देवबन्द, सहारनपुर मय फोर्स।

2–उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना देवबन्द, सहारनपुर।

3–का0 25 राजीव कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर।